बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक :– 4/7/18

संo संo–17/कोर्ट –11/2018 – 434(17)/स्वा०, स्वास्थ्य विभागीय विज्ञापन संख्या–15704 (स०)/13–14 के आलोक में डा० रोहित सिंह को पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के सुपर–स्पेशियलिटी यूरोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक के गैर संवर्गीय रिक्त पद पर संविदा के आधार पर अधिकतम तीन वर्षों तक के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियोजित किया गया।

2. डा0 पंकज कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के सुपर–स्पेशियलिटी यूरोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक के गैर संवर्गीय रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय में समादेश याचिका संख्या–15064/2015 डा0 पंकज कुमार मिश्रा बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–27.07.2017 को पारित न्यायादेश का क्रियाशील भाग निम्न है :–

"The petitioner by referring to his supplementary affidavit filed on 26.4.2016 submits that pursuant to the order passed by this Court on 4.2.2016, it was assured that the necessary steps are being taken to accommodate him on the post of Assistant Professor in Super Speciality department of Urology in P.M.C.H., Patna as two posts have got vacant on promotion of one Dr. Ashok Kumar Malviya and Dr. Dinesh Kumar Das as Associate Professors."

" In backdrop of the submissions, the respondent-State would consider the case of the petitioner for appointment in super speciality department of Urology against the existing vacancy, as he was second to respondent No.5 in the merit list."

3. उपर्युक्त न्यायादेश के अनुपालनार्थ विभाग द्वारा कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी, इसी बीच डा0 मिश्रा द्वारा अवमाननावाद संख्या–352/2018 डा0 पंकज कुमार मिश्रा बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। समादेश याचिका संख्या–15064/2015 डा0 पंकज कुमार मिश्रा बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–27.07.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई में लिये गये निर्णय के आधार पर उक्त अवमाननावाद संख्या–352/2018 में निम्न आशय का कारण–पृच्छा दायर किया गया :–

" That it is humbly submitted that however, the answering opposite.party truly intends to ensure compliance of the order of this Hon'ble Court and is in the swift process of taking necessary procedural steps for granting regular promotion to the post of Associate Professors in difrent departments including Super specialist Department."

" That it is humbly submitted that after granting regular promotion to the post of Associate Professors of regular working Assistant Professor in urology Department and there after, the case of the Petitioner will be accommodated on the post of Assistant Professors, in Urology Department, PMCH Patna."

4. अतः सम्यक् विचारोपरांत स्वास्थ्य विभागीय विज्ञापन संख्या–15704 (स०)/13–14 के आलोक में डा0 पंकज कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के सुपर–स्पेशियलिटी यूरोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक के गैर संवर्गीय रिक्त पद पर संविदा के आधार पर अधिकतम तीन वर्षों तक के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियोजित किया जाता है।

5. संविदा पर नव नियुक्त चिकित्सक शिक्षक को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर अनिवार्य रूप से तुरंत कार्यभार ग्रहण कर सूचित करें।

6. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक को जो वेतन एवं भत्ता आदि पूर्व से प्राप्त हो रही है वही वेतन एवं भत्ता आदि संविदा पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियां की जायेगी।

7. इस अधिसूचना के चिकित्सक का यदि किसी पूर्व निर्गत अधिसूचना में नाम हो तो उसे इस अधिसूचना के अनुसार संशोधित समझा जाए।

8. नियुक्ति संबंधी शर्तें :–

(क) समय–समय पर इनके कार्य एवं आचरण की समीक्षा की जायेगी, जिसे असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में समय से पूर्व भी कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।

(ख) प्राचार्य योगदान के समय एक हजार रूपये के नन जूडिसीयल/एडहेसिव स्टाम्प पर सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुबंध संबंधी विहित प्रपत्र में अनुबंध हस्ताक्षरित करा लेंगे तथा योगदान के समय शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की जांच कर लेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

04/07/18

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–17/कोर्ट –11/2018 –434 (17) **/स्वा० पटना, दिनांक :–** 04/7/18

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार(ले0एवंह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना एवं प्राचार्य/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 पंकज कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव(डा० कौशल किशोर) के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी–01, 17 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– G.A.-8, माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/07/18

सरकार के अवर सचिव।